



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

Under Ministry of Education, Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi

Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

Email: [adtl.com.admn@kvs.gov.in](mailto:adtl.com.admn@kvs.gov.in), Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 27772

F.11072-4(BIHR)/2016-KVS(Admn.I) | 1238-58

दिनांक: 22.07.2026  
23

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 06.08.2018 के कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक/ रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 13 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु चिह्नित भूमि का हस्तांतरण एवं उपयुक्त अस्थायी भवन को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिपत्य में कर दिया जाएगा। केन्द्रीय विद्यालय देवकुंड, जिला औरंगाबाद, बिहार (संसदीय क्षेत्र - काराकाट) अगस्त 2018 में स्वीकृत 13 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में कर दिया है एवं विद्यालय संचालन हेतु उपयुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध होने के उपरांत निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ करने के लिए संस्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| के.वि. कोड | केन्द्रीय विद्यालय का नाम                                | निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय सत्र 2026-27 से संचालित किया जाएगा                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2554       | केन्द्रीय विद्यालय देवकुंड, जिला औरंगाबाद, बिहार- 824120 | केन्द्रीय विद्यालय देवकुंड, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवकुंड पुलिस स्टेशन के पीछे, पोस्ट- बघोई, जिला औरंगाबाद, बिहार - 824120 |

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ में कक्षा I से V तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होगा और इसके पश्चात साध्यता एवं अनुमोदन उपरांत कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, भूमि और अस्थायी भवन के अधिग्रहण से संबंधित सभी औपचारिकताएं (यदि लंबित हो तो) पूर्ण होने के बाद 30 दिवस के भीतर सम्पन्न कर ली जाए।

*(हस्ताक्षर)*

(दीपेश गहलोत)

अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.स.।
2. निजी सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं संयुक्त अध्यक्ष, के.वि.स.।
3. वरिष्ठ पी. पी. एस., सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन केविसं.।
4. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), स्कूल शिक्षा विभाग, बिहार सरकार।
5. पी.एस.ओ., संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केविसं.।
6. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन।
7. सचिव, सी.बी.एस.ई. के निजी सचिव, 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92
8. अपर आयुक्त (शैक्षिक) केविसं.।
9. निदेशक (के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, कर्तव्य भवन - 2, नई दिल्ली।
10. संयुक्त आयुक्त (प्रशा./वित्/प्रशिक्षण/कार्मिक), के.वि.स. (मु.) को सूचनार्थ।
11. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केविसं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।

12. अधीक्षण अभियंता, के.वि.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
13. जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्धन समिति, केन्द्रीय विद्यालय देवकुंड, जिला औरंगाबाद, बिहार को सूचनार्थ ।
14. उपायुक्त, के.वि.स. (क्षे.का.) पटना को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर के.वि. संचालित करें ।
15. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.स., सभी क्षेत्रीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
16. सहायक आयुक्त (आई.टी.) को के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
17. सहायक आयुक्त (स्था. I/II/III) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
18. सभी अधिकारी/अनुभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) ।
19. अध्यक्ष/सचिव के.वि.स. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ ।
20. गार्ड फाइल ।



केंद्रीय विद्यालय संगठन  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
Under Ministry of Education, Govt. of India  
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi  
Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

Email: [adtl.com.admn@kvs.gov.in](mailto:adtl.com.admn@kvs.gov.in), Tel: 011- 26855532

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi

Comp No.: 27772

F.11072-4(BIHR)/2016-KVS(Admn.I) 11238-58

दिनांक: 22.07.2026  
23

### OFFICE ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 06.08.2018, conveyed the approval of Government of India, for establishing 13 new Kendriya Vidyalayas under Civil/Defence Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified demarcated land and also to give possession of the temporary accommodation to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya Devkund, District Aurangabad, Bihar in Parliamentary Constituency Karakat** is one of the 13 new Kendriya Vidyalayas sanctioned in August 2018.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya Sangathan and temporary accommodation has been found suitable, sanction is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with effect from the session 2026-27 at the following location:

| KV Code | Name of Kendriya Vidyalaya                                    | Kendriya Vidyalaya will be made functional from Academic Year 2026-27 at:                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2554    | Kendriya Vidyalaya Devkund, District Aurangabad, Bihar-824120 | Kendriya Vidyalaya Devkund, Govt. Industrial Training Institute, Behind Devkund Police Station, P.O.-Baghoi, District Aurangabad, Bihar -824120 |

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) and thereafter will grow consequently based on feasibility as per approval.

The admission process may be completed within 30 days after completion of all pending formalities of taking over of land and temporary accommodation, if any.

*Deepesh*

(Deepesh Gehlot)

Additional Commissioner (Admn)

#### **Distribution: -**

1. PS to Hon'ble SM-cum-Chairman, KVS.
2. PS to Hon'ble MoS (Education) – cum Joint Chairman, KVS.
3. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairman, KVS.
4. PS to Secretary (Education), Department of School Education, Govt. of Bihar.
5. PSO to Joint Secretary (Institutions & Trg.), MoE-cum-Vice Chairperson, KVS.
6. PS to Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
7. PS to Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
8. Additional Commissioner (Acad), KVS.
9. The Director (KVS), MoE, Kartavya Bhawan - 2, New Delhi.
10. Joint Commissioner (Admn/Finance/Training/ Pers), KVS.
11. Joint Commissioner (Acad), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.

12. The Superintending Engineer, KVS – for information and necessary action.
13. The District Magistrate & Collector and Chairman VMC, Kendriya Vidyalaya Devkund, District Aurangabad, Bihar for information.
14. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Patna with the request to liaise with the sponsoring authorities to make the KV functional.
15. The Deputy Commissioner/Director, KVS, All Regional Offices/ZIETs.
16. The Assistant Commissioner (IT), KVS with a request to upload the order on KVS website.
17. The Assistant Commissioner (Estt.I/ Estt. II/ Estt. III) for information & necessary action.
18. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
19. President/ General Secretary, KVS recognized Staff Associations.
20. Guard File.